रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-964/2018/1138/22-2-2018-17(365)/2017

लखनऊ:दिनांक: 27 दिसम्बर, 2018

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अन्तर्गत इनफरमिटी रोल के स्थान पर भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन संवैधानिक व सम्प्रभु शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मलखान (बन्दी संख्या-23166) पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद, निवासी ग्राम-बड़ागांव, थाना-कदौरा, जनपद-जालौन, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-86/82 के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की धारा-302 के अधीन दिनांक 06.08.1982 को मा0 सत्र न्यायाधीश, जालौन स्थान उरई द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट/ पुलिस अधीक्षक द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी द्वारा स्पष्ट अभिमत नहीं दिया गया है तथापि इनफरमिटी रोल पर महानिरीक्षक, कारागार की आख्या के आधार पर बन्दी की बीमारी, आयु 76 वर्ष होने, 14 वर्ष से अधिक अपरिहार, 19 वर्ष से अधिक सपरिहार सजा काटने तथा जेल आचरण संतोषजनक होने के दृष्टिगत दयायाचिका के आधार पर शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, जालौन स्थान उरई के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-964/2018/1138(1)/22-2-2018 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, जालौन स्थान उरई ।
3- पुलिस अधीक्षक, जालौन स्थान उरई ।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in